

संख्या-1502/एक-10-2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1- राहत आयुक्त,
उ० प्र०, लखनऊ।

2- जिलाधिकारी,
बाराबंकी, गाजीपुर एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 19/10/2023

विषय:- राज्य द्वारा घोषित आपदा सर्पदंश को न्यूनीकृत किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-4642/ रा० आ० का०/2023-24 दिनांक 05.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सर्पदंश से विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक प्रभावित 03 जनपदों-सोनभद्र, बाराबंकी एवं गाजीपुर में बचाव संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन मानस को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जिला चिकित्सालयों सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों के डॉक्टरों, प्रदेश की समस्त आशाओं को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सर्पदंश से बचाव किट प्रदान करने इत्यादि के संबंध में रु० 1,39,28,200 /- का वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम हेतु राहत आयुक्त कार्यालय को राज्य स्तर के कार्यक्रम हेतु रु० 18,36,700/- तथा जनपद बाराबंकी हेतु रु० 43,33,350/- गाजीपुर हेतु रु० 43,45,050/- तथा सोनभद्र हेतु रु० 34,13,100/- की धनराशि का आवंटन करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

तालिका-1

State level Budget			
Sl.no	Expense Category	Unit Cost	Total cost
1	02 days State Level Sensitization Cum Orientation Meeting	1500*100*2	3,00,000
2	Inauguration & SB kit distribution by Hon'ble CM sir	1500*600	9,00,000
3	State Level ToT for Master Trainers for 06 participants	36,700	36,700

4	Experience sharing state level workshop with all these 03 districts	1500*100	1,50,000
5	Human Resource (01 State consultant @ 50,000/-)	50,000*5months	2,50,000
6	Contingency		2,00,000
	Total Estimated Budget		18,36,700

तालिका-2

District level Budget - Barabanki		
Sl.no	Expense Category	Total Cost
1	IEC Materials Production and Distribution across the state	17,69,400
2	One day training for Emergency ward doctors in CHC and DH in districts	1,05,500
3	One day training on SBE first aid management for CHOs will be conducted in five batches in districts	2,12,500
4	Block Level Orientation for ASHAs on SBE: One day orientation on SBE and first aid management for ASHAs will be conducted in five batches at block Level in districts.	1,02,500
5	Booklet for ASHAs on SBE awareness at community level. (150 * 545)	81,750
6	Snakebite Kits Distribution (Rs 300/Kit, 2 kits@616 Sub Health Centre)	3,69,600
7	02 Snakebite Kits distribution at 1166 Gram Panchayat (1166*2*300)	6,99,600
8	100-100 additional Snakebite Kits for DDMA * Above SB kits will be stored for the ASHAs as they can take it from DDMA when required (100*1*300)	30,000
9	Incentives for Frontline Workers (for ASHA) for emergency transportation and incentives per ASHA is Rs. 1500 (N=545) * In case of emergency, the public vehicle being used for the transportation of the patient by ASHAs, then Rs.1000/- additionally will be given to them including their incentive of Rs. 500/-	8,17,500
10	Contingency for HR (for travelling, consultations, meetings etc.)	35,000
11	Award distribution for top-3 life savvier of each districts (1st- 5,000/-, 2nd- 3,000/-, 3rd- 2,000/-)	10,000
12	Contingency	1,00,000
	Total Estimated Budget	43,33,350

तालिका-3

District level Budget - Ghazipur		
Sl.no	Expense Category	Unit Cost
1	IEC Materials Production and Distribution across the state	17,69,400
2	One day training for Emergency ward doctors in CHC and DH in districts	1,05,500
3	One day training on SBE first aid management for CHOs will be conducted in five batches in districts in UP	2,12,500
4	Block Level Orientation for ASHAs on SBE: One day orientation on SBE and first aid management for ASHAs will be conducted in five batches at block Level in districts.	1,02,500
5	Booklet for ASHAs on SBE awareness at community level.(150 * 635)	95,250
6	Snakebite Kits Distribution (Rs 300/Kit, 2 kits@317 Sub Health Centre)	1,90,200
7	02 Snakebite Kits distribution at 1237 Gram Panchayat (1237*2*300)	7,42,200

8	100-100 additional Snakebite Kits for DDMA * Above SB kits will be stored for the ASHAs as they can take it from DDMA when required (100*1*300)	30,000
9	Incentives for Frontline Workers (for ASHA) for emergency transportation and incentives per ASHA is Rs. 1500 (N=635) * In case of emergency, the public vehicle being used for the transportation of the patient by ASHAs, then Rs.1000/- additionally will be given to them including their incentive of Rs. 500/-	9,52,500
10	Contingency for HR (for travelling, consultations, meetings etc.)	35,000
11	Award distribution for top-3 life savvier of each districts (1st- 5,000/-, 2nd- 3,000/-, 3rd- 2,000/-)	10,000
12	Contingency	1,00,000
	Total Estimated Budget	43,45,050

तालिका-4

District level Budget - Sonbhadra		
Sl.no	Expense Category	Unit Cost
1	IEC Materials Production and Distribution across the state	17,69,400
2	One day training for Emergency ward doctors in CHC and DH in districts	1,05,500
3	One day training on SBE first aid management for CHOs will be conducted in five batches in districts in UP	2,12,500
4	Block Level Orientation for ASHAs on SBE: One day orientation on SBE and first aid management for ASHAs will be conducted in five batches at block Level in districts.	1,02,500
5	Booklet for ASHAs on SBE awareness at community level.(150 * 320)	48,000
6	Snakebite Kits Distribution (Rs 300/Kit, 2 kits@230 Sub Health Centre)	1,38,000
7	02 Snakebite Kits distribution at 637 Gram Panchayat (637*2*300)	3,82,200
8	100-100 additional Snakebite Kits for DDMA * Above SB kits will be stored for the ASHAs as they can take it from DDMA when required (100*1*300)	30,000
9	Incentives for Frontline Workers (for ASHA) for emergency transportation and incentives per ASHA is Rs. 1500 (N=320) * In case of emergency, the public vehicle being used for the transportation of the patient by ASHAs, then Rs.1000/- additionally will be given to them including their incentive of Rs. 500/-	4,80,000
10	Contingency for HR (for travelling, consultations, meetings etc.)	35,000
11	Award distribution for top-3 life savvier of each districts (1st- 5,000/-, 2nd- 3,000/-, 3rd- 2,000/-)	10,000
12	Contingency	1,00,000
	Total Estimated Budget	34,13,100

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-18.09.2023 में लिए गए निर्णयानुसार राहत आयुक्त कार्यालय के सर्पदंश को न्यूनीकृत किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में कतिपय संशोधन के साथ अनुमोदन दिया गया है उक्त अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में राहत आयुक्त कार्यालय के प्रस्तावानुसार सर्पदंश को न्यूनीकृत

किये जाने हेतु सर्पदंश कार्यक्रम को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उक्त 03 जनपदों में चलाये जाने हेतु राहत आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 05.10.2023 के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर-1 की 04 तालिकाओं में अंकित व्यय विवरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार योजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की संस्तुति के क्रम में रु0 1,39,28,200/- की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान करते हुए राहत आयुक्त कार्यालय को राज्य स्तर के कार्यक्रम हेतु रु0 18,36,700/-, जनपद बाराबंकी को रु0 43,33,350/-, जनपद गाजीपुर को 43,45,030/- एवं जनपद सोनभद्र को रु0 34,13,100/- धनराशि की वित्तीय स्वीकृति देते हुए उक्त धनराशि क्रमशः राहत आयुक्त एवं संबंधित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर संबंधित तीनों जनपदों द्वारा नियमानुसार कराया जायेगा।
 2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
 3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I, दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
 4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
 5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
 6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
 8. ई-ट्रेडरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
 9. राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही कार्यक्रम समयबद्ध रूप से कराया जायेगा।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये रु0 1,39,28,200/- (रुपये एक करोड़ उनतालिस लाख अट्ठाइस हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 19-10-2023 17:38:05

Reason (संक्षेप में)

विशेष सचिव।

संख्या:-1502(1)/एक-10-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2 अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० शासन।
- 3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, एन० एच० एम०, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 9- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी, उ० प्र०।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-20/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1502
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1502
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4345050 4345050	4345050 4345050
2	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4333350 4333350	4333350 4333350
3	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं० , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1836700 712655700	1836700 712655700
4	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3413100 3413100	3413100 3413100
	योग	वर्तमान प्रगामी	13928200 724747200	13928200 724747200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनतालीस लाख अठाईस हजार दो सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन